महत्वपूर्ण एवं खास

महुआ पेड़ में लटकती मिली लाश

रायगढ़। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र ग्राम तिलगा में महुआ पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकती लाश देखकर सनसनी फैल गया।

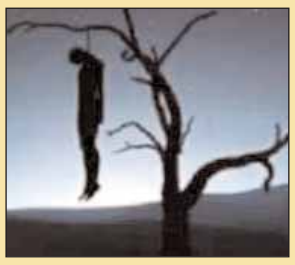

लाश देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया जहां मौके पर चक्रधर नगर टीआई दल बल के साथ जाकर पंचनामा कर मामले को विवेचना में लिया है। इस सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक मेघनाथ राठिया पिता रघुनाथ 48 तिलगा निवसी है। बताया जा रहा है कि मृतक का विवाद शाम को परिजनों से हुआ था तत्पश्चात वह शाम को घर से जाने के बाद वापस नही लौटा। वही तड़के सुबह लोगो ने पेड़ पर लटकती लाश देखकर परिजनों को सुचित किये जहां देखते ही देखते लोगो का हुजूम उमड़ पड़ा। बहरहाल शव का पीएम की कार्रवाई के बाद परिजनों को दाह संस्कार के लिए सौंपा गया है।

विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसम्बर को

रायगढ़। 3 दिसम्बर को विश्व दिव्यांगता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर 3 दिसम्बर को विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया जाएगा। दिव्यांग जन संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय में उपस्थित होकर विभिन्न गतिविधि एवं कार्यक्रम में शामिल हो सकते है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक या बीआरपी (समावेशी शिक्षा) से जानकारी ले सकते है।

मूलधन से चार गुना ब्याज अदायगी के बाद भी बढ़ाया कर्ज

रायगढ़। रायगढ़ सिटी कोतवाली में सूदखोरों की चंगुल में फंसे पीडित युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। रायगढ़ जिले में सूदखोरों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लेनदार को मूलधन से चार गुना राशि बतौर ब्याज में चुकाने के बावजूद भी लेनदार पर कर्ज का बोझ कम नहीं होता, दरअसल सूदखोर लेनदारों से दमड़ी और चमड़ी दोनों वसूल लेतें हैं। जिले में सूदखोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के कई प्रकरण थानों तक पहुंच चुकें है। वहीं सूदखोरी के चलते पीडितों द्वारा सामूहिक या अकेले आत्महत्या जैसे गंभीर मामले भी सामने आ चुकें हैं। ज्यादातर सूदखोरी के मामले में पाया गया है । कि बिना लाइसेंस (हुंडी) के व्यापारी या धनाढ्य लोग सूद पर पैसे देने लगतें हैं। जो कि अवैधानिक है, क्योंकि बिना हुंडी के ब्याज पर राशि दिया जाना अपराध की श्रेणी में माना जाता है।

बालक गुम के इवेंट में पहुंची डॉयल 112, बस स्टैण्ड के पास मिला गुम बालक

रायगढ़। 1 दिसम्बर को 17.53 बजे खरसिया राइनो को गुम इंसान इवेंट प्राप्त होने पर ईआरवी खरसिया राइनो का स्टाफ ग्राम हमालपारा पहुंचा, जहां जानकारी मिली कि हॉस्टल में रहने वाला 12 वर्षीय बालक हॉस्टल से निकलकर कहीं चला गया है। ईआरवी स्टाफ बालक को पता तलाश करते हुये बस स्टैण्ड हमालपारा पहुंची, जहां बालक ईआरवी स्टाफ को रोता हुआ मिला, बालक को ईआरवी वाहन में बिठाकर स्टाफ ने इसकी जानकारी चौकी खरसिया को दिया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 : मतगणना के दौरान 30 हजार से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात

रायपुर। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान शहरी इलाकों में 30 हजार से अधिक जवानों को तैनात किया जाएगा। वह किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मतगणना स्थल से लेकर चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाके में मौजूद रहेंगे। किसी भी तरह का उपद्रव और हुड़दंग मचाने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। गौरतलब है कि राज्य के सभी 90 विधानसभा सीटों की मतगणना 11 दिसम्बर को सभी जिला मुख्यालय में होगी। इस दौरान सभी दलों के वरिष्ठ नेता से लेकर प्रत्याशी उपस्थित रहेंगे।

मतगणना का रूझान सामने आते ही विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इससे निपटने के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जवानों को प्रशिक्षण मतगणना के पहले जिलास्तर पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात किए जाने राजपत्रित अधिकारियों की सूची भी बनाई जा रही है। मतगणना के दौरान सेक्टरों में बांटकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

विभागीय जांच में प्रधान आरक्षक द्वारा रूपये लेना प्रमाणित, प्र.आर. को 03 वर्ष के लिये पदावनत का दंड

रायगढ़। थाना सारंगढ़ में पदस्थ प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा पूर्व में थाना चक्रधरनगर में तैनात था। थाना चक्रधरनगर तैनाती दौरान प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा दिनांक 13.01.18 को हमराह स्टाफ के साथ ग्राम पतरापाली पूर्व निवासी सहदेव मोधिया पिता गेल्हा मोधिया उम्र 50 वर्ष के घर शराब रेड कार्यवाही के लिए गये था। पुलिस को सहदेव मोधिया के घर शराब नहीं मिला। सहदेव मोधिया द्वारा 8,000 रूपये प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा द्वारा रूपये मांग किये जाने पर आरक्षक को देना बताकर, इसकी संबंधी शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास किया था। शिकायत पत्र की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक से करायी जाकर विभागीय जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से करायी गई। विभागीय जांच में प्रधान आरक्षक पर लगाये गये आरोप प्रमाणित पाया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 30.11.18 को प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रधान आरक्षक से आरक्षक के पर पर पदावनत का दंड दिया गया है।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने 37 शराबी वाहन चालकों पर की कार्रवाई, 13 वाहन चालकों का ड्रायविंग लाइसेंस किया निरस्त

रायगढ़. जिले में यातायात पुलिस व थाना चौकी पुलिस स्टॉफ द्वारा शहर के अंदर और बाहर जाने वाले प्रमुख मार्गों में दुपहिया, चार पहिया एवं भारी वाहनों की चेकिंग की गई है. इसी दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 37 शराबी वाहन चालकों के विरूद्ध नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई.

जानकारी के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाने वाली कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया जाता है. इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस व थाना चौकियों स्टाफ द्वारा समय-समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम एवं विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

इसी क्रम में जिले के थाना चौकी स्टाफ द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई के दौरान शराब सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़े गए 37 वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 एम. व्ही. एक्ट की कार्यवाही की गई है. यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा माह अक्टूबर व नवम्बर दौरान वाहन चलाते समय शराब सेवन करते पाए गए 13 दुपहिया वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है.

3 साल में रूपये दो गुना करने के नाम पर करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी, मामला दर्ज

रायगढ़। आवेदक तेजराम बेहरा पिता अर्जुन बेहरा निवासी ग्राम कुर्कुदा थाना चक्रधरनगर द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र की जांच थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा की गई है, आवेदक को उसके गांव के कुछ लोगों द्वारा चिटफंड कम्पनी में रूपये जमा करने पर 03 साल में रूपये दो गुना हो जायेगा कहकर बताये थे। जांच पर पाया गया कि आवेदक कलकत्ता वेयर इनड्रस्ट्रीस लिमिटेड कम्पनी आर.ओ.सी. कलकत्ता से रजिस्टर्ड है। उक्त कंपनी अपने मेमोरण्डम आफ आटिकिल मेंमोरण्डम आफ एसियोसन के विपरित एन.बी.एफ.सी. कंपनी की आड में निवेशकों से रूपया पैसा अपनी कंपनी में निवेश करा कर विभिन्न स्किम के तहत कम समय में ज्यादा लाभ कमाने का प्रलोभन देकर रूपये पैसों का लेन देन समव्यहार करने का आर0बी0आई0 से कोई पंजीयन न होने के बावजुद उक्त कृत्य किया गया और निवेशकों से रायगढ स्थित अपने कार्यालय कृष्णा काम्पलेक्स में करोडों रूपये जमा कराये गये। उसके पश्चात उक्त कंपनी अपना कार्यालय बंद कर निवेशकों को पैसा वापस न कर सन 2015 से फरार हो गई उक्त कृत्य के लिये थाना कोतवाली में अप.क्र. 1542/18 धारा 420, 120बी ता.हि., धारा 4, 5 चिट फण्ड अधिनियम एवं धारा 6, 10 छ.ग. निवेशकों के संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उक्त कंपनी के अलावा कंपनी के समस्त डायरेक्टर्स के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पीएम आवास बनाने हितग्राही को नहीं मिल रही जमीन, 6 माह पहले खाते में आ चुका है पैसा

रायगढ़। आवासहीनों को रियायती दर पर पक्के मकान उपलब्ध कराने की शासन की अति महात्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना जिले में राजनैतिक षड़यंत्र और प्रशासनिक लाचारी की भेंट चढ़ती दिख रही है। स्थिति यह है कि पात्र हितग्राहियों के खाते में 6 माह पहले से आवास निर्माण की पहली किश्त जमा की जा चुकी है, किंतु पंचायत हितग्राही को जमीन देने में आनाकानी कर रही है। शासकीय योजना में भर्राशाही का ताजा मामला लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत तराईमाल से सामने आया है। यहां पीएम आवास हितग्राही विद्याकांत चतुर्वेदी द्वारा आवासहीन श्रेणी में पीएम आवास योजना अंतर्गत आवास हेतु आवेन किया था। उक्त आवेदन की स्क्रूटनी पश्चात इसे पात्रता श्रेणी में रखते हुए शासन ने हितग्राही के बैंक खाते में आवास निर्माण की पहली किश्त 35 हजार रुपए 6 माह पूर्व जून महीने में ही जमा कर दी थी। इसके बाद जब हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच से आवास हेतु जमीन की मांग की गई तो पंचायत में जमीन न होने का हवाला देकर पंचायत प्रतिनिधि हितग्राही विद्याकांत चतुर्वेदी को अन्य कहीं भूमि क्रय कर आवास बनाने की समझाईश दे डाली। पीएम आवास हितग्राही ने पंचायत प्रतिनिधियों के इस टालमटोल को भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के हिस्से की भूमि उन्हें न देकर ग्राम पंचायत तराईमाल के सरपंच, सचिव इन जमीनों की बंदरबांट कर रहे हैं और हितग्राहियों को डरा-धमकाकर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। ताजुब्ब की बात यह है कि केंद्र शासन की इस अति महत्वाकांक्षी आवासीय योजना से जुड़ी भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं हैं, जिसके कारण पंचायत स्तर से लेकर नगरीय निकाय तक पीएम आवास योजना में व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं मार्गदर्शन बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से घटाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931